किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत् जिलों में बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित आवश्यक शर्ते एवं निर्देश।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक जिले में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों के निराकरण हेतु बाल कल्याण समिति का गठन किया जाना है। समिति पांच सदस्यीय (एक अध्यक्ष/04 सदस्य) होगी, जिसमें से एक पद महिला के लिए सुरक्षित है, समिति अधिनियम एवं नियमों में प्रदत्त शक्तियों व उत्तरदायित्व के तहत् जिले में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेंगी। समिति के पदों के लिए आवश्यक शर्ते, निर्देश एवं निर्धारित प्रारूप निम्नानुसार हैः-

1/ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/ सदस्यों के लिए अर्हताएें :-

(i) बाल कल्याण समिति अध्यक्ष और सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक को पैंतीस वर्ष से अधिक आयु के होंगे किन्तु पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के नही होगें।

(ii) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य हेतु ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री हो और बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में सात वर्ष से सक्रिय रूप से शामिल हो (actively involved) **अथवा** जो मनोचिकित्सा (psychiatry) या समाज विज्ञान(sociology) या विधि क्षेत्र (law) या सामाजिक कार्य(social work) या समाजशास्त्र(sociology) या मानव स्वास्थ्य (human health) या शिक्षा(education) या मानव विकास(human development) या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा (special education) में डिग्री के साथ व्यवसायरत व्यक्ति (practicing professional) हो।

2/ बाल कल्याण समिति के सदस्यों का कार्यकाल-

(i) समिति के अध्यक्ष/सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष से अधिक नही होगा।

(ii) समिति का अध्यक्ष/ सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(iii) समिति के अध्यक्ष/ सदस्य की नियुक्ति दो लगातार कार्यकाल के लिए नही की जायेगी परंतु अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने वाले सदस्य के मामले में यह वर्जित नही होगा।

(iv) अध्यक्ष/सदस्य की आयु 65 वर्ष से अधिक होने पर उसका बाल कल्याण समिति में कार्यकाल समाप्त हो जायेगा।

3/ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य पद के लिए अपात्रता-

i मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किये जाने का कोई रिकॉर्ड हों,

ii ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिस में नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है,

iii उसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है,

iv वह कभी बाल दुर्व्यवहार या बाल श्रम के नियोजन या अनैतिक कृत्य या मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा हैं।

v समिति में रहते हुये दो कार्यकाल पूर्ण कर लिया गया हो अथवा समिति में सदस्य अथवा अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरा कार्यकाल हो।

vi विदेश से सहायता प्राप्त करने वाले किसी संगठन से जुड़ा व्यक्ति समिति के अध्यक्ष या सदस्य पद के लिए पात्र नही होगा।

vii किसी गैर–सरकारी संगठन या किसी संगठन, जो ऐसे कृत्यों का निष्पादन करता हो जिनमें समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में हितों का टकराव होता हो उसमें अधिनियम को लागू करने के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरणः शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि, इसमें समिति के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर निम्नलिखित स्थितियों में से कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन इन्ही तक समिति नही हैः

(क) परिवार का कोई सदस्य किसी गैर–सरकारी संगठन का सदस्य है**;**

(ख) घनिष्ठ संबंधी किसी गैर–सरकारी संगठन का सदस्य है**;**

(ग) गैर–सरकारी संगठनों या जिले में बचाव और पुनर्वास के लिए काम कर रहा व्यक्तियों के मामले में**;**

(घ) बाल देखरेख संस्थान चलाने वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति या किसी गैर–सरकारी संगठन के बोर्ड या ट्रस्ट का सदस्य।

4/ **अन्य आवश्यक शर्तें/मापदण्ड–**

i **समिति के अध्यक्ष या सदस्य के पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को संलग्न फार्म 49 के अनुसार शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, आवेदन के साथ शपथ पत्र संलग्न नही होने पर आवेदन अमान्य माना जावेगा, जिस के लिए कोई वाद या दावा मान्य नही होगा।**

ii यह विज्ञप्ति शासकीय सेवा के लिए नहीं है।

iii समिति के अध्यक्ष/सदस्य को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा किसी भी प्रकार का अन्य भुगतान या भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

iv अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी न हो।

v दिवालिया न हो।

vi चयन समिति योग्यता, बालकों के साथ कार्य करने के अनुभव और अभ्यर्थी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेगी जिस के संबंध में कोई वाद मान्य नही होगा।

vii समिति में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में चयनित होने के उपरांत निर्धारित प्रशिक्षण करना अनिवार्य है प्रशिक्षण न करने की स्थिति में चयन निरस्त किया जा सकता है।

viii चयनित होने पर ज्वाईनिंग से पहले पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रारूप 49 में शपथ पत्र बाल संरक्षण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगी, तद्ोपरांत ज्वाईनिंग ली जावेगी।

5/ पद हेतु आवेदन प्रक्रिया–

1. विभाग **की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन प्रपत्र** में ही आवेदन स्वीकार किये जायेगें।
2. **किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की शैक्षणिक योग्यता, स्वरूप, अर्हता, अपात्रता की शर्ते आदि पृथक–पृथक होने से किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के आवेदन निर्धारित प्रपत्र में मय दस्तावेज के पृथक–पृथक मान्य होंगे। यदि आवेदक द्वारा पद हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन नही किया जाता है तो आवेदन निरस्त किया जायेगा जिसके संबंध में** कोई वाद, दावा/आपत्ति मान्य नही होगी।
3. यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक जिले हेतु आवेदन दिया जाता है तो उसके लिए पृथक–पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र स्वयं के द्वारा प्रमाणित होने चाहिए तथा समस्त दस्तावेज विधिवत संलग्न होना चाहिये। आवेदन पूर्ण/विधिवत नही होने पर निरस्त कर दिया जावेगा।
4. आवेदकों को साक्षात्कार स्थल पर स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा।
5. विज्ञप्त पदों की समस्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अध्याधीन होगी।
6. आवेदन संचालक, महिला एवं बाल विकास कार्यालय, विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल पिन 462011 में कार्यालीन समय मे जमा अथवा पंजीकृत डाक/कोरियर/स्पीड पोस्ट से दिनांक 30 दिसम्बर 22. तक आमंत्रित किये जाते है। ई–मेल अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को मान्य नही किया जायेगा।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश